न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/09

मांगीलाल पुत्र बजरंगा जाति माली निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
---अपीलान्ट

बनाम

1. पीर मोहम्मद पुत्र जुम्माशाह जाति मुसलमान निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. नन्ही बाई पत्नी पीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. छीतर पुत्र भूरया जाति माली निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. मोहन पुत्र छीतर जाति माली निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   3/2. जमा बाई पत्नी छीतर जाति माली निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी
   3/3. छोटा बाई पुत्री छीतर जाति माली निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/3/1. भरोसी पुत्री छोटा बाई जाति माली निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   3/3/2. भैरी पुत्री छोटा बाई जाति माली निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   3/3/3. शांति पुत्री छोटा बाई जाति माली निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।
5. राजस्थान राज्य जिलाधीश बून्दी ।
6. रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. प्रहलाद पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी लाम्बाबरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः 12.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 08.11.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम लाम्बाबरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या 95 में खसरा नम्बर 66 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 73 रकबा 14 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 74 रकबा 01 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है । खाता संख्या 94 में खसरा नम्बर 68 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 69 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 79 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । इसी प्रकार खाता संख्या 187 की भूमि खसरा नम्बर 72 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि का वादी कम 01 खातेदार कृषक है जिस पर वह काबिज काश्त चला आ रहा है । वादीगण अपने खाते की भूमि पर आराजी खसरा नम्बर 77 एवं 76 में होते हुए आराजी खसरा नम्बर 75 एवं 76 की मेर पर होकर पहुचते हैं । अतः आराजी खसरा नम्बर 75 से 78 के मध्य 12 फुट का चौडा रास्ता वादीगण के खातेदारी की भूमि पर पहुचने के लिए दिया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

3. परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत कैम जैतपुर में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 03.06.2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नम्बर 63 में से 02 बिस्वा जो प्रहलाद, रामस्वरूप पिसरान जगन्नाथ गुर्जर के खातेदारी में होकर अन्य सिवायचक खसरा नम्बर आदि को मिलाते हुए 12 बिस्वा में 20 फीट चौडा रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित किया ।

4. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.06.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 09.02.2018 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण परीक्षण न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की गई ।

5. न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.02.2018 की पालना में परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर उक्त प्रकरण को प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट जैतपुर में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 08.11.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए सिवायचक खसरा नम्बर 76 रकबा 1.3591 हैक्टर में से रकबा 528 फीट * 12 फीट = 6336 वर्गफीट = रकबा 5721 वर्गफीट = 0.0589 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 75 रकबा 0.2589 हैक्टर में से रकबा 12 फीट = 144 वर्गफीट भूमि रास्ते के रूप में दिये जाने के आदेश पारित किये तथा नियमानुसार प्रतिकल राजकोष में जमा होने के उपरान्त उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2021 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 02 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 75 पर लम्बे पेड लगे हुए हैं । यदि खसरा नम्बर 75 में से रास्ता कायम किया जाता है तो पेडों को काटकर हटाना पडेगा जो पर्यावरण के लिये काफी नुकसानदायक रहेगा । रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के पास पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है । शत प्रतिशत आवश्यकता होने पर ही नया रास्ता कायम किया जा सकता है । केवल सुविधा के लिये रास्ता कायम नहीं किया जा सकता

फिर भी परीक्षण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.11.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 09.11.2021 को पेश कर दिया था जिस पर दिनांक 11.01.2022 को नकल तैयार की गई और उसी दिन अपीलान्ट को नकल उपलब्ध करवायी गई । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील विलम्ब से पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 01 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) एवं धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी के खातेदारी की भूमि पर पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध करवाया जावे । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.06.2016 के द्वारा अप्रार्थी कम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) को स्वीकार करते हुए नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.06.2016 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 09.02.2018 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण को पुनः निर्णय पारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया । न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय की पालना में परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते अपीलाधीन निर्णय से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया । प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में तहसीलदार नैनवा रिपोर्ट प्रेषित की गई थी जिसमें खसरा नम्बर 1 व 2 को उनके खातेदारी की भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 46 गै0मु0 रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज होना अंकित किया था । रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 के पास पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है । आराजी खसरा नम्बर 75 पर लम्बे पेड लगे हुए हैं । यदि खसरा नम्बर 75 में से रास्ता कायम किया जाता है तो पेडों को काटकर हटाना पडेगा जो पर्यावरण के लिये काफी नुकसानदायक रहेगा । रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के पास पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है । शत प्रतिशत आवश्यकता होने पर ही नया रास्ता कायम किया जा सकता है । केवल सुविधा के लिये रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.11.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2019 (1) पेज 403, आरआरटी 2022 (1) पेज 693 उद्धरत की ।

10. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट के खातेदारी की भूमि पर पहुंचने के लिए पूर्व में कोई सीधा एवं सुगम रास्ता उपलब्ध नहीं है । वादी रेस्पोडेन्टगण के खातेदारी की कृषि भूमि पर आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 46 गै0मु0 रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज है इससे आगे पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 44 में से 02 बिस्वा सिवायचक खसरा नम्बर 56 में से 01 बिस्वा चारागाह और खसरा नम्बर 63 में से 02 बिस्वा जो प्रहलाद, रामस्वरूप पि0 जगन्नाथ के खातेदारी में दर्ज है । इस प्रकार कुल 12 बिस्वा में से 20 फीट चौडा रास्ता दिया गया है । उक्त रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार ने अपनी मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें भी यही उल्लेखित किया गया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.11.2021 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) एवं धारा 188 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उनके खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम लाम्बाबरडा की खाता संख्या 95 की आराजी खसरा नम्बर 66 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 73 रकबा 14 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 74 रकबा 01 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा भूमि एवं खाता संख्या 94 में खसरा नम्बर 68 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 69 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 79 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा भूमि तथा खाता संख्या 187 की भूमि खसरा नम्बर 72 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा भूमि पर पहुंचने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.06.2016 के द्वारा अप्रार्थी कम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) को स्वीकार करते हुए नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.06.2016 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 09.02.2018 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण को पुनः निर्णय पारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया ।

13. अपीलान्ट मांगीलाल ने परीक्षण न्यायालय में जवाबदावे के साथ परिशिष्ट "ब" संलग्न किया जिसके अनुसार खसरा नम्बर 83, 101 एवं सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 76 की मेड से होकर ग्रेवल सडक होना बताया गया है जो रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की भूमि खसरा नम्बर 73 व 74

तक पहुंचता है । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट "अ" संलग्न है जिसके अनुसार पूर्व से बहाल आम रास्ता मौके पर स्थित है जो खसरा नम्बर 94, 101, 82 व 77 एवं 76 में से होता हुआ रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 के खातेदारी की भूमि तक पहुंचता है । परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.11.2021 के अनुसार नवीन रास्ता परिशिष्ट "क" के अनुसार बिन्दु ए से बी (खसरा नम्बर 88 से सिवायचक खसरा नम्बर 77 के मध्य से होते हुए) व बी से सी (सिवायचक खसरा नम्बर 76 के मध्य से खसरा नम्बर 75 की मेर से होते हुए) अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 75 की मेड से होकर रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के खातेदारी की भूमि तक पहुंचने हेतु रास्ता कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं । अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट के खातेशुदा भूमि खसरा नम्बर 75 की मेर पर वृक्ष स्थित हैं जिन्हें रास्ते हेतु काटकर हटाना पडेगा । चूँकि पूर्व के निर्णय दिनांक 03.06.2016 में रास्ता अन्य खसरा नम्बर 44 में से 02 बिस्वा सिवायचक, खसरा नम्बर 48 में से 04 बिस्वा चारागाह, खसरा नम्बर 54 में से 01 बिस्वा चारागाह, खसरा नम्बर 55 में से 02 बिस्वा चारागाह, खसरा नम्बर 56 में से 01 बिस्वा चारागाह और खसरा नम्बर 63 में से 02 बिस्वा में से होकर कुल 12 बिस्वा में 20 फिट चौडा रास्ता दिया गया है । इस बार जो निर्णय पारित किया है उसमें सिवायचक खसरा नम्बर 76 रकबा 1.3591 हैक्टर में से रकबा 528 फीट * 12 फीट = 6336 वर्गफीट = रकबा 5721 वर्गफीट = 0.0589 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 75 रकबा 0.2589 हैक्टर में से रकबा 12 X 12 फीट = 144 वर्गफीट भूमि रास्ते के रूप में दिये जाने के आदेश पारित किये । मौका रिपोर्ट में एक वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 70 व 62 के बीच की मेर पर दिया जा सकता है, का विकल्प दिया गया है । चूँकि पूर्व निर्णय में अलग खसरा नम्बर तथा वर्तमान निर्णय में अलग खसरा नम्बर में रास्ता दिया गया है तथा अलग–अलग परिशिष्ट में एवं रिपोटर्स में अन्य प्रस्तावित रास्तों का भी अंकन/सुझाव है । ऐसी स्थिति में परिस्थिति का सम्पूर्ण विवेचन कर Speaking व Reasoned आदेश पारित होना चाहिए । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट में केवल पीर मोहम्मद के हस्ताक्षर हैं । मौका रिपोर्ट में न तो पक्षकारों के तथा नही मौतविरानों के कॉलम में कोई हस्ताक्षर हैं । मांगी लाल के कैम्प कोर्ट के नोटिस किये तामील हुए, यह स्पष्ट नहीं है । आदेशिका पर भी अपीलान्ट की उपस्थिति के हस्ताक्षर नहीं हैं । अतः स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.02.2021 से स्पष्ट है कि पत्रावली शहादत हेतु नियत थी । वाद में सीपीसी की पालना होनी चाहिए । पूर्व निर्णय दिनांक 03.06.2016 के साथ तो डिक्री भी जारी की गई है परन्तु अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.11.2021 वाद में कोई डिक्री जारी होना भी पत्रावली में स्पष्ट नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में सीपीसी की पालना किये बिना पारित किया है तथा न्यायालय हाजा पारित निर्णय दिनांक 09.02.2018 में दिये गये रिमाण्ड निर्देशों की पालना नहीं की है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.11.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 13 में किये गये विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए सीपीसी की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से पुनः निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 22.08.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा